न्यायाधीशः-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

(जिला न्यायालय) चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः-सोनिका पुरोहित, RJS (DJ Cadre)

क्लेम याचिका संख्या - 102/2022

1.श्रीमती सन्जु पत्नी गोकुलराम आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम लादड़िया जिला चूरू।
2.गोकुलराम पुत्र स्व.भागुराम आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम लादड़िया जिला चूरू।

- प्रार्थीगण

वि रू द्ध

1. राणाराम पुत्र चेतराम आयु 27 साल निवासी ग्राम लाखाउ जिला चूरू।

-मालिक व चालक मोटरसाईकिल सं.आरजे 10 एसएन 3473

2. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड SS OPE Minar Core 3,2nd फ्लोर, लक्ष्मी नगर, देहली-110992

- बीमा कम्पनी मोटरसाईकिल सं.आरजे 10 एसएन 3473

-अप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

उपस्थितिः-

1.श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1
3.श्री धीरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं.2

-: नि र्ण य :- **दिनांक-25.03.2026**

1. प्रार्थीगण द्वारा यह क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत प्रस्तुत कर मोटरयान दुर्घटना में मृतक पवन कुमार की मृत्यु होना बताते हुए कुल 1,20,39,200 रूपये मुआवजा राशि मय ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.02.2022 को मृतक पवन कुमार शाम को अपने गांव लादड़िया राणाराम के साथ उसकी मोटरसाईकिल संख्या आरजे 10 एसएन 3473 पर जा रहा था तो वक्त करीब 6.30-7.00 बजे एनएच 52 पर झन्कार होटल के सामने राणाराम ने मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर दी। पवन कुमार को ईलाज के लिए राजकीय भरतिया अस्पताल, चूरू लाया गया जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया जहां दिनांक 25.02.2022 को उसकी एसएमएस अस्पताल में दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद उक्त मोटरसाईकिल को पुलिस थाना कोतवाली, चूरू द्वारा सुरक्षार्थ

झन्कार होटल पर खड़ी की गई थी। मृतक के गम्भीर चोटें आने, जयपुर में ईलाज चलने व मृत्यु होने पर सामाजिक रीतिरिवाजों के निर्वहन के बाद तक पुलिस कार्यवाही नहीं होने पर मृतक के भाई हनुमानप्रसाद ने दिनांक 14.03.2022 को पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें अनुसन्धान के बाद उक्त वाहन मोटरसाईकिल के चालक के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। दुर्घटना के समय मृतक करीब 22 वर्षीय स्वस्थ था जो भवन निर्माण मिस्त्री का कार्य कर 23200 रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था एवं भविष्य में भी वह अपनी आय में वृद्धि करता। प्रार्थीगण मृतक की आय पर आश्रित थे जो मृतक की आय से वंचित हो गये तथा वे मृतक के प्यार, दुलार, सहारे से भी वंचित हो गये तथा उनको मानसिक सन्ताप से भी गुजरना पड़ा। अप्रार्थी संख्या एक प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल का मालिक एवं चालक तथा अप्रार्थी संख्या दो उसकी बीमा कम्पनी रही है। प्रार्थीगण ने याचिका में उल्लेखित अनुसार क्षतिपूर्ती राशि अप्रार्थीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

3. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से बावजूद दिये जाने समुचित अवसर के याचिका का जवाब पेश नहीं किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या दो ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि वाहन स्वामी ने दिनांक 31.08.2019 से दिनांक 30.08.2020 तक के लिए ओडी कवर लिया था एवं इसके बाद ओडी कवर के लिए बीमा कम्पनी को प्रीमियम अदा नहीं किया। अप्रार्थी संख्या दो बीमा कम्पनी ने दुर्घटना की दिनांक की अवधि हेतु प्रश्नगत मोटरसाईकिल पर पीछे की सवारी Pillion Rider के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया गया है। दुर्घटना की दिनांक को प्रश्नगत वाहन की एक्ट ऑनली पॉलिसी ही प्रभाव में थी जिसमें प्रश्नगत वाहन पर पीछे की सवारी Pillion Rider कवर नहीं होता है तथा इस पॉलिसी में वाहन स्वामी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ती अदा करने का दायित्व बीमा कम्पनी का नहीं है। प्रश्नगत वाहन की एमटीओ रिपोर्ट देखने से दुर्घटना किसी अन्य वाहन द्वारा टक्कर मारने से होना प्रकट होता है जो वाहन नहीं मिलने पर प्रश्नगत वाहन के स्वामी से मिलीभगत कर गलत तथ्यों पर यह याचिका पेश की है। पुलिस ने सारी कार्यवाही मिलीभगत करके की है। नक्शा मौका, हालात मौका, एमटीओ रिपोर्ट इत्यादी से दुर्घटना प्रमाणित नहीं होती है। आरोप पत्र एवं धारा 133 एमवी एक्ट में स्वीकारोक्ति मौलिक साक्ष्य नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या दो बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ती अदायगी के उत्तरदायी नहीं है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये-

    1. **प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे-10-एसएन-3473 के चालक विपक्षी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 22.02.2022 को 06.30-07.00 पीएम के लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग**

संख्या 52 चूरू-राजगढ़ झन्कार होटल के पास उक्त वाहन को तेजगति उपेक्षा/ उतावलेपन से चलाते हुए दुर्घटना कारित की जिस कारण उक्त मोटरसाईकिल पर सवार पवन कुमार नीचे गिर गया और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप पवन कुमार के शरीर पर चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई ?

2. **आया विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक स्वयं अपने नियोजन, निर्देशन, हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था ?**

3. **आया याची अपनी याचिका में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सकते हैं, यदि हाँ तो कितनी राशि, किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते है ?**

4. **आया विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी द्वारा अपने प्रारम्भिक कथनों एवं विशेष कथनों के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव ?**

5. **अनुतोष ?**

6. प्रार्थीगण की ओर से एडब्ल्यु.1 गोकुलराम एवं एडब्ल्यु.2 हनुमानप्रसाद के बयान लेखबद्ध कराए गए हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत अपने शपथ पत्रों में याचिका के तथ्यों को ही दोहराते हुए प्रलेखीय साक्ष्य में 21 प्रलेख प्रदर्शित करवाये गये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से एनएडब्ल्यु.1 अशीष कुमार की साक्ष्य है कि प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल राणाराम के नाम से दिनांक 31.08.2019 से दिनांक 30.08.2020 तक के लिए पैकेज पॉलिसी के तहत एवं दिनांक 30.08.2024 तक तृतीय पक्ष के लिए बीमित थी। मृतक पवन कुमार को दिनांक 22.02.2022 को प्रश्नगत मोटरसाईकिल पर पिलन राईडर की हैसियत से था। बीमा पॉलिसी प्रदर्श-15 अनुसार दुर्घटना के दिन तृतीय पक्ष के अतिरिक्त किसी उपभोगी या पिलन राईडर की रिस्क बाबत कोई बीमा प्रीमियम प्राप्त नहीं किया गया था, वरन केवल मात्र दायित्व का बीमा किया गया था। ऐसी स्थिति में मृतक की रिस्क बाबत बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं है।
7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस यह निवेदन किया है कि मृतक, अप्रार्थी संख्या एक की प्रश्नगत मोटरसाईकिल पर अपने गांव जा रहा था तब एनएच 52 पर झंकार होटल के सामने अप्रार्थी संख्या एक ने वाहन को तेजगति व उपेक्षा से चलाकर दुर्घटना कारित कर दी जिसमें आई चोटों के कारण दौराने ईलाज मृतक की मृत्यु हुई है। पुलिस ने अपने अनुसन्धान में अप्रार्थी संख्या एक को इस दुर्घटना का दोषी माना है। यह बहस भी रही है कि मृतक ने अपने गांव जाने के लिए अप्रार्थी संख्या एक से उसके वाहन पर लिफ्ट ली थी तथा कोई व्यक्ति जब इस प्रकार लिफ्ट लेता है तो वह यह नहीं देखता है कि वाहन का किस तरह का बीमा करवाया हुआ है। प्रश्नगत वाहन नया वाहन था जिसकी बीमा कम्पनी करके ही देती है। प्रश्नगत वाहन के बीमा कवर नोट प्रदर्श-15 में कहीं नहीं लिखा कि तृतीय पक्ष की

रिस्क कवर नहीं हो रही हो। उक्त बीमा पॉलिसी में पिलन राईडर का कहीं पर अंकन नहीं है इसलिए मृतक प्रश्नगत वाहन पर तृतीय पक्षकार था एवं तृतीय पक्ष की रिस्क के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी है। यह बहस भी रही है कि मृतक मिस्त्री का कार्य कर 23200 रूपये मासिक आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था लेकिन प्रार्थीगण जो मृतक की आय पर निर्भर थे, अब इस आय से वंचित हो गये। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उनकी वृद्धावस्था का सहारा छिन जाने एवं मानसिक आघात होने की बहस करते हुए याचिका में अंकित अनुसार क्षतिपूर्ती राशि अप्रार्थीगण से दिलाये जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की बहस रही है कि वरवक्त दुर्घटना उसका वाहन अप्रार्थी संख्या दो बीमा कम्पनी से बीमित था इसलिए इस वाहन से हुई दुर्घटना बाबत हर क्षतियों के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी है।

9. विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस पेश की गई एवं मौखिक बहस के दौरान निवेदन किया कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन पर मृतक पिलन राईडर की हैसियत से था एवं बीमा कवर नोट प्रदर्श-15 के अनुसार दुर्घटना की अवधि में इस वाहन पर पिलन राईडर बाबत कोई प्रीमियम नहीं लिया गया था। दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन केवल मात्र तृतीय पक्ष की जौखिमों के लिए उत्तरदायी था। मृतक तृतीय पक्ष की श्रेणी में भी नहीं आता है। अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये-

1. S.B.Civil Misc.Appeal No.2207/2017 HDFC/Smt.Rajbala & Anr on 08.08.2024
2. S.B.Civil Misc.Appeal No.211/2002 **लीलाधर/महेन्द्रसिंह व अन्य 18.02.2021**
3. SLP (CIVIL) Diary No.(S) 36722/2019 NIC/ Pintu & Anr 15.11.2019
4. **2017(2) सीसीआर 690 (राज) श्रीमती नोरती व अन्य/मुराद व अन्य**
5. **2013(1) सीसीआर 305 (एससी) एनआईसी/बालकृष्णन व अन्य**
6. **2014(1) सीसीआर 149 (राज) यूईइकंलि/श्रीमती हुडी व अन्य**
7. **2011 आरएआर 89 (राज) एनआईसी/प्रतीक उर्फ बन्टी व अन्य**
8. S.B.Civil Misc.Appeal No.689/1998 UIC/Smt.Garol & Ors on 26.11.2009
9. **सि.मि.अ.नं.694/1997** NIC/**माजिद अली व अन्य 17.03.2009**
10. **अ.(सिविल) 2291/2000** UIIC **शिमला/तिलकसिंह व अन्य 04.04.2006**
11. **2013(2) सीसीआर 720 (राज)** UIIC/**पाबुराम व अन्य**

10. बहस पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जिनमें प्रतिपादित अभिमत से हम सहमत हैं। विवाद्यकवार न्यायालय का विनिश्चय निम्नप्रकार से है-

<u>विवाद्यक संख्या-1</u>

11. विवाद्यक संख्या एक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। प्रार्थीगण की ओर से इस विवाद्यक को साबित करने हेतु एडब्ल्यु.1 गोकुलराम एवं ए. डब्ल्यु.2 हनुमान प्रसाद को परीक्षित करवाया गया है। इन दोनों ही

गवाहान ने मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में याचिका के तथ्यों को दोहराया है लेकिन जिरह में इन दोनों गवाहान ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने दुर्घटना नहीं देखी। इस प्रकार ये दोनों ही गवाहान याचिका में उल्लेखित मोटरयान दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। एडब्ल्यु.2 हनुमान प्रसाद ने इस दुर्घटना का मुकदमा अवश्य दर्ज करवाया है किन्तु जब इस गवाह ने दुर्घटना देखी ही नहीं तो उसने मुकदमा दर्ज करवाये जाने बाबत रिपोर्ट प्रदर्श-3 में अंकित तथ्य किस आधार पर दर्ज किये, यह स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा वरवक्त दुर्घअना प्रश्नगत वाहन तेजगति व लापरवाही से चलाये जाने एवं दुर्घटना के तरीके को साबित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित करवाया जाना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक था। प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अभाव में अप्रार्थी पक्ष को उससे जिरह करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **सिविल विविध अपील संख्या 1148/2018 निर्णय दिनांक 09.05.2018 चोलामण्डलम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम श्रीमती बादामी** में माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित अभिमत प्रतिपादित किया है कि-

6. In order to prove Issue No.1 claimants had failed to examine any eye-witness. The only witness examined by the claimants was A.W.1 Shri Pema. The said witness had not witnessed the accident. It was necessary for the claimants to have proved that the accident had occurred on account of rash and negligent driving of respondent No.5 while driving the offending vehicle. Merely because challan had been presented in the criminal case, was not sufficient to decide Issue No.1 in favour of the claimants. The driver of the offending vehicle could be acquitted in the criminal case. So far as the claim petition was concerned, the claimants were required to examine the eye-witnesses to establish the manner of accident. Opposite party would have got an an opportunity to cross examine the eye-witness to test his testimony with regard to the manner of accident. In the absence of examination of the eye-witness before the Tribunal, the opposite party has been denied its valuable right to cross-examine the said witness and establish their own plea. Although, as per the judgments relied upon by the learned counsel for the claimants given by Coordinate Bench of this Court (Single Bench), claim petition could be allowed in the absence of examination of eye-witness but in the considered opinion of this court, examination of an eye-witness before a claim petition could be allowed was essential. In case it is to be held that there was no need to examine an eye-witness and the claim petition could be allowed merely on the basis of the documents attached with the challan in the criminal case, then there is no need even to issue notice to the opposite party and the compensation could be granted merely on the filing of the claim petition

alongwith challan papers. However, it cannot be done so. Before a claim petition could be allowed, the other party has to be heard. Claimants have to examine witnesses to prove the issues qua which onus is upon them. Other party gets a chance to cross-examine the witnesses and test the truthfulness of the said witnesses. Since, in the present case claimants had failed to examine any eye-witness to prove Issue no. 1, the said issue was liable to be decided against the claimants.

12. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन एवं मार्ग-दर्शन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं करवाये जाने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 10 एसएन 3473 को वरवक्त दुर्घटना तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई थी जिससे उस मोटरसाईकिल पर सवार मृतक के शरीर पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई। अतः विवाद्यक संख्या एक का विनिश्चय प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या-2</u>

13. इस विवाद्यक को साबित करने का भार भी प्रार्थीगण पर था। विवाद्यक संख्या एक में किये गये विवेचन के अनुसार प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 10 एसएन 3473 द्वारा याचिका में अंकित दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या-3 का अप्रार्थी संख्या-2 के नियोजन, निर्देशन व हितार्थ कार्य करने बिन्दु प्रभावहीन हो जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या-3</u>

14. इस विवाद्यक को साबित करने का भार भी प्रार्थीगण पर था। विवाद्यक संख्या एक व दो में किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 10 एसएन 3473 के चालक अप्रार्थी संख्या-3 के द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर याचिका में उल्लेखित दुर्घटना कारित करने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः विवाद्यक संख्या तीन का विनिश्चय भी प्रार्थीगण के विरूद्ध किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या-4</u>

15. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी बीमा कम्पनी पर था। विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की बहस रही है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन पर मृतक पिलन राईडर की हैसियत से था एवं बीमा कवर नोट प्रदर्श-15 के अनुसार दुर्घटना की अवधि में इस वाहन पर पिलन राईडर बाबत कोई प्रीमियम नहीं लिया गया था। दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन केवल मात्र तृतीय पक्ष की जौखिमों के लिए उत्तरदायी था। मृतक तृतीय पक्ष की श्रेणी में भी नहीं आता है। जबकि विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थीगण की बहस रही है कि मृतक ने अपने गांव जाने के लिए अप्रार्थी संख्या एक से उसके वाहन पर लिफ्ट ली थी तथा कोई व्यक्ति जब इस प्रकार लिफ्ट लेता है तो वह यह नहीं देखता है कि वाहन का किस तरह का बीमा करवाया हुआ है। प्रश्नगत वाहन नया वाहन था जिसकी बीमा कम्पनी करके ही देती है। प्रश्नगत वाहन के बीमा कवर नोट प्रदर्श-15 में कहीं नहीं लिखा कि तृतीय पक्ष की रिस्क कवर नहीं हो रही हो। उक्त बीमा पॉलिसी में पिलन राईडर का कहीं पर अंकन नहीं है इसलिए मृतक प्रश्नगत वाहन पर तृतीय पक्षकार था एवं तृतीय पक्ष की रिस्क के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विवाद्यक संख्या एक से तीन के सम्बन्ध में किये गये विवेचन से जब प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर कथित दुर्घटना किया जाना ही साबित नहीं हुआ है तो उस स्थिति में बीमा कम्पनी की pillion rider बाबत आपत्तियों के सम्बन्ध में विवेचना की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तद्नुसार इस विवाद्यक का विनिश्चय किया जाता है।

अनुतोष

16. विवाद्यकों के सम्बन्ध में उपर किये गये विवेचनानुसार यह क्लेम याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

आ दे श

17. प्रार्थीगण श्रीमती सन्जु वगैरह की ओर से प्रस्तुत यह क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज की जाती है। तद्नुसार अवार्ड (पंचाट) पृथक से जारी किया जावे।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण
(जिला न्यायालय) चूरू (राज)

18. निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को विवृत अधिकरण में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण
(जिला न्यायालय) चूरू (राज)